HUMAN RIGHTS WATCH

ऊँची इमारतों का निर्माण, कामगारों के साथ धोखाधड़ीः

संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी कामगारों का शोषण

I. विवरण **1**

II. सिफ़ारिशें **8**

संयुक्त अरब अमीरात सरकार के लिए 8

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, और श्रीलंका की सरकारों से 13

अमरीका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों से 14

I. विवरण

अपनी गगनचुंबी इमारतों और भव्य अवकाश स्थलों और सम्पत्ति की बदौलत दुबई संयुक्त अरब अमीरात की आर्थिक प्रगति का एक विश्वव्यापी प्रतीक बन गया है. इस समय जबकि दुनिया भर में इमारतों के निर्माण का जो भी काम जारी है, उसका का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात में है, तो वहाँ पर काम कर रहे प्रवासी कामगारों की संख्या भी लगभग पाँच लाख आँकी जा सकती है. लेकिन इस शानोशौकत और चकाचौंध के पीछे इन प्रवासी कामगारों के जो अनुभव हैं वे एक धूमिल छवि पेश करते हैं. यानी वेतन के नाम पर शोषण, बेईमान मालिकों की क़र्ज़दारी और काम करने की स्थितियाँ जो कि इतनी ख़तरनाक हैं कि जानलेवा भी हो सकती हैं. संयुक्त अरब अमीरात का संघीय क़ानून कई तरह की सुरक्षा मुहैया कराता है लेकिन प्रवासी कामगारों के लिए यह आमतौर पर अमल में नहीं आ पाता है.

ह्यूमैन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत प्रवासी कामगारों की दुष्कर परिस्थितियों का ही वर्णन है, ख़ासतौर पर मालिकों के हाथों उनका शोषण और इस बुराई से निपट पाने में संयुक्त अरब अमीरात की संघीय सरकार की अक्षमता. कामगारों, सरकारी कर्मचारियों और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों से साक्षात्कार और समाचार और व्यापारिक पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों के सर्वेक्षण के आधार पर हम उन तथ्यों को उजागर कर पा रहे हैं जो निर्माण कार्य में लगे लोगों की सबसे अहम चिंताएँ हैं जैसे, बहुत ही कम वेतन, जिसे मालिक आमतौर पर दो महीने रोक कर रखते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी न छोड़ पाए. इसी तरह की गारंटी के नाम पर उनके पासपोर्ट भी मालिक अपने पास रख लेते हैं. यह कर्मचारी जिन देशों से आते हैं वहाँ ऋण लेकर रोज़गार दिलाने वाली एजेंसियों को वे वीज़ा और यात्रा के ख़र्च के नाम पर इतनी राशि दे चुके होते हैं कि उसे चुकाने के लिए उन्हें नौकरी करने को बाध्य रहना पड़ता है. इसके बावजूद कि उन्हें इतना कम भुगतान मिलता है और कभी-कभी तो मिलता भी नहीं है.

इसके अलावा, ऊँची इमारतों के ख़रनाक निर्माण कार्य की वजह से उन्हें लगातार चोट लगने या मौत होने का ख़तरा झेलना पड़ता है. और इस बात की गारंटी कम ही होती है कि उनके मालिक उनकी स्वास्थ्य सेवा का ख़र्च उठाएँगे. इस बारे में विश्वसनीय आँकड़ों

का अभाव और कंपनी को मज़दूर की मौत या घायल होने की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य न कर पाने की अक्षमता इस बात की परिचायक है कि श्रम मामलों की जाँच कर रही एजेंसियाँ कितनी कमज़ोर हैं. ह्यूमैन राइट्स वॉच को पता चला है कि कामगारों की नियुक्त कर रही 240,000 कंपनियों के श्रम संबंधी काम के तरीक़ों की निगरानी की ज़िम्मेदारी 140 सरकारी निरीक्षक संभाल रहे हैं. जो बात सबसे अधिक चिंताजनक है वह यह है कि निगरानी में इस कोताही का अर्थ है स्वास्थ्य और सुरक्षा परिस्थितियों की अनदेखी जो सीधे तौर पर कामगारों की मृत्यु और चोटों का कारण हो सकती है.

संयुक्त अरब अमीरात में जितने कामगार हैं उनमें से 95 प्रतिशत विदेशी हैं और 2005 में देश में प्रवासी कामगारों की संख्या कुल 2,738,000 थी. निर्माण उद्योग में जो प्रवासी कामगार जुटे हुए हैं उनमें से लगभग 20 प्रतिशत पुरुष हैं जो दक्षिण एशिया से हैं. इनमें से अधिकतर निरक्षर हैं और विपन्न ग्रामीण समुदाय के हैं.

संयुक्त अरब अमीरात के संघीय क़ानून में जो प्रावधान हैं वे संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों और प्रवासी कामगारों, दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं. लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की संघीय सरकार ने कामगारों के शोषण के ग़ैरक़ानूनी तौरतरीक़ों पर मालिकों की जाँच, उन पर मामला दायर करने और स्थिति में सुधार की अपनी ज़िम्मेदारियों से स्वंय को लगभग पूरी तरह से मुक्त कर लिया है. सरकार संयुक्त अरब अमीरात के उस क़ानून को प्रभावी बनाने में भी विफल रही है जिसके अनुसार 1980 से सरकार को एक न्यूनतम भत्ता लागू करना ज़रूरी है. ऐसा करके ज़ाहिर है, अपने श्रम के लिए औसतन 175 अमरीकी डॉलर प्रति मास कमा रहे प्रवासी कामगार के बुनियादी अधिकारों के मुक़ाबले आमतौर पर शक्तिशाली और बेतहाशा मुनाफ़ा अर्जित करने वाली निर्माण कंपनियों के हितों को तरजीह दी गई है. इन प्रवासी कामगारों की आमदनी के विपरीत संयुक्त अरब अमीरात में प्रति व्यक्ति आय औसतन 2,106 अमरीकी डॉलर प्रति मास है.

इसके अतिरिक्त, सरकार ने इन कामगारों के ट्रेड यूनियन बनाने और साथ मिल कर अपने मालिकों से अपने काम का पैसा तय करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. (इससे नुक़सान कहीं ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक ऐसा नागरिक समाज सेक्टर बनाने में भी सरकारी तौर पर रोक लगी हुई है जो कामगारों के शोषण सहित सभी

मानवाधिकार हनन के मामलों की निगरानी कर सके और उन्हें प्रकाश में ला सके). मार्च, 2006 में श्रम मंत्रालय ने घोषणा की वह एक ऐसा क़ानून बनाएगा जिसमें ट्रेड यूनियन और मिल कर पैसा तय कराने के अधिकार का प्रावधान होगा लेकिन अक्तूबर के प्रारंभ तक सरकार ने ऐसे किसी क़ानून के बारे में न तो विवरण प्रकाशित किए हैं और न ही इसके प्रस्तावित कार्यान्वयन के तरीक़ों की कोई सूचना दी है. इसके बजाय, सितंबर में श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रवासी कामगारों को देश में कम से कम एक साल तक और कहीं काम तलाश करने से रोक दिया. (इस प्रस्ताव से पूर्व सरकार ने कई मौक़ों पर हड़ताल आयोजित करने के प्रयास के संदेह में कई कामगारों को वापस उनके देश रवाना कर दिया था).

इन प्रवासी कामगारों की परेशानियों की शुरुआत उनके अपने देशों में ही हो जाती है जहाँ उन्हें स्थानीय रोज़गार एजेंसियों को रोज़गार अनुबंध दिलाने, में वीज़ा दिलाने और हवाई यात्रा का टिकट ख़रीदने के लिए लंबी चौड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है. (लगभग 2,000-3,000 अमरीकी डॉलर के बराबर). आमतौर पर वे यह राशि चुकाने के लिए सीधे रोज़गार दिलाने वाले एजेंट से या किसी अन्य पक्ष से ऋण लेते हैं. उसके बाद हर महीने ऋण की क़िस्त चुकाना इन कामगारों की सबसे बड़ी आवश्यकता हो जाती है और कभी-कभी तो वे अपने रोज़गार के पहले दो साल ये ऋण चुकाने में ही व्यस्त रहते हैं. और जब निर्माण कंपनियाँ कामगार के पहले दो महीने का वेतन रोक लेती हैं-और यह इतनी आम बात है कि अब एक रिवाज सा ही बन गया है-तो वे ऋण की क़िस्त चुकाने में पिछड़ जाते हैं और अतिरिक्त राशि जुड़ने लगती है. कामगार उन मालिकों के यहाँ भी काम करते रहने को मजबूर हो जाते हैं जो लंबे समय तक उनका वेतन नहीं चुकाते क्योंकि उनके सामने बस यही रास्ता बचता है कि या तो वे काम करते रहें या नौकरी छोड़ दें और ऋण चुकाए बिना स्वदेश लौट जाएँ.

इस रिपोर्ट के लिए निर्माण कार्य में लगे जितने भी कामगारों से बात की गई उन्होंने कहा कि उनके मालिकों ने पहुँचने पर उनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए. वैसे, यह भी आमतौर पर एक रिवाज कहलाता जब संयुक्त अरब अमीरात में काम देने वाले मालिक कामगार का पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं ताकि वह भाग न पाए. हालाँकि की अदालतों ने निर्देश दिया है कि मालिकों द्वारा पासपोर्ट ज़ब्त करना ग़ैरक़ानूनी है लेकिन

मालिक बिना इस बात की परवाह किए यह काम जारी रखे हुए हैं कि सरकार इस क़ानून पर अमल करेगी.

इस के साथ ही कामगार जिन परिस्थितियों में काम करते हैं वे देश की सबसे दुष्कर और ख़तरनाक काम करने की परिस्थितियों में शामिल हैं. संयुक्त अरब अमीरात के निर्माण क्षेत्र में प्रवासी कामगारों के घायल होने और उनकी मृत्यु होने की घटनाओं की हालाँकि पूरे तौर पर रिपोर्ट नहीं होती है, तब भी वे एक बहुत ही चिंताजनक हद तक व्याप्त हैं. इसके बारे में सरकारी और निजी सूत्र संख्या की पूरी जानकारी मुहैया नहीं करा पाते हैं. दुबई में जो सरकारी आँकड़े मौजूद हैं उनके हिसाब से 2004 में 23 कामगारों की निर्माणस्थलों पर मौत हुई और 2005 में यह संख्या 39 थी. लेकिन एक स्थानीय व्यापार पत्रिका में स्वंतत्र जाँच के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 में दुबई में अलग-अलग राष्ट्रीयता के जिन 34 लोगों की मौतों की रिपोर्ट हुई है उसके मुक़ाबले काम के दौरान मरने वाले भारतीय कामगारों की तादाद ही इससे कहीं ज़्यादा थी. जिस तरह बहुत कम निर्माण कंपनियाँ काम के दौरान चोट लगने या मौत होने की रिपोर्ट करने से कतरा रही हैं वह इस बात की परिचायक है कि वे कैसे इसकी व्यापकता पर परदा डाल रहे हैं. यह एक ऐसा आरोप है जो मीडिया की कई रिपोर्टों में नज़र आता है.

अन्य अधिकतर स्थानों पर एक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में जहाँ श्रमिकों की भारी कमी है, काम की इतनी ख़तरनाक परिस्थितियों से जूझ रहे और बिना वेतन के काम कर रहे कर्मचारी किसी अन्य काम को तलाश कर लेते हैं. लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण कार्य में लगे प्रवासी कामगारों के लिए यह एक विकल्प नहीं है क्योंकि वे भी, अन्य प्रवासी कामगारों की तरह, किसी एक विशिष्ट मालिक के साथ काम करने के अनुबंध से बंधे होते हैं. किसी अन्य मालिक के साथ काम करने का इच्छुक कामगार वर्तमान नियोक्ता के साथ दो साल काम कर चुकने के बाद ही, और उसकी मर्ज़ी से ही, ऐसा कर सकता है.

संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण काम में लगे कर्मचारियों को जिन दुष्कर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उनमें से किसी में संघीय सरकार ने या तो उनके लिए कुछ नहीं किया और यदि किया भी तो वह पर्याप्त नहीं था. वह अपने ही क़ानून के हनन के

मामलों की जाँच, उस पर मामला दायर करने, दंडित करने और उसमें सुधार के लिए पर्याप्त क़दम उठाए जाने के लिए एक तरीक़ा ईजाद करने में विफल रही है. उदाहरणतः एक ऐसा क़ानून बनाए जाने के बाद जिसमें रोज़गार दिलाने वाले एजेंटों और स्थानीय नियोक्ताओं पर कामगारों से रोज़गार के लिए कोई शुल्क लेने पर पाबंदी है, उसने इस का उल्लंघन करने वाले एजेंटों या उनसे मिले हुए नियोक्ताओं को सज़ा देने के पर्याप्त प्रयास किए हैं. और न ही उसने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित नियोक्ताओं और रोज़गार एजेंटों द्वारा कामगारों के देशों में स्थित एजेंटों को यह काम सौंपते हैं. इसके अलावा मालिक जब कामगारों के वेतन रोक लेते हैं तब भी संघीय सरकार की और से गिनेचुने प्रयास ही होते देखे गए हैं.

पीड़ित कामगारों को हालाँकि इस बात का अधिकार है कि वह विवादों के बीच मध्यस्थता करने और अनसुलझे मामले न्यायपालिका तक पहुँचाने में सक्षम श्रम मंत्रालय के समक्ष सुनवाई की मांग कर सकते हैं, लेकिन इस मध्यस्थता किस हद तक उपलब्ध है यह एक देखने वाली बात है.श्रम मंत्रियों सहित अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी इस मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपर्याप्त बताते हुए उसकी आलोचना की है और उसमें तुरंत सुधार की आवश्यकता बताई है.मंत्रालय के कुछ मध्यस्थों पर यह आरोप भी लगे हैं कि वे श्रम मंत्रालय के प्रावधानों का उचित तरीक़े से कार्यान्वयन करने के विपरीत निर्माण व्यापार के हितों का अधिक ध्यान रखते हैं. यह भी प्रतीत होता है कि मंत्रालय उन मामलों की कोई विस्तृत सूचना (जिसमें आँकड़े भी शामिल हैं) रखता है जिनमें वह मध्यस्थता करता है.

कामगारों की न्यायपालिका तक पहुँच भी एक ऐसा मामला है जो सीमित हद तक ही संभव होता पाया गया है. सिद्धांत रूप से देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात के श्रम क़ानून में उसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सज़ा का निर्देश है. इनमें वेतन का भुगतान न होना भी शामिल है. लेकिन ह्यूमैन राइट्स वॉच ऐसी किसी एक घटना को रिकॉर्ड पर नहीं ला पाया जिसमें किसी मालिक को अपने मज़दूर को भत्ता न देने पर जेल की सज़ा दी गई हो या जुर्माना लगाया गया हो. यहाँ तक कि जो कामगार अपने मालिक के ख़िलाफ़ फ़ैसला कराने में सफल रहे हैं वे भी उन्हें जेल की सज़ा या जुर्माना तो दूर, वेतनों का भुगतान कराने पर बाध्य करने में भी विफल रहे हैं.

संयुक्त अरब अमीरात की अलग-अलग सरकारों ने अपने क्षेत्र में प्रवासी कामगारों की परेशानियाँ दूर करने के लिए अपने स्तर पर कुछ प्रयास अवश्य किए हैं. पिछले दो साल में श्रम मामलों में अशांति में वृद्धि के बाद 2005 में दुबई सरकार ने दो एजेंसियाँ स्थापित कीं-श्रम मामलों की स्थाई समिति (पीसीएलए) और दुबई पुलिस में एक मानवाधिकार विभाग और इनका काम कामगारों और मालिकों के बीच विवाद में मध्यस्थता करना था. इनके गठन के बाद से इन्होंने श्रम विवाद के हज़ारों मामलों को निपटाया है और जिस वेतन का भुगतान नहीं हुआ था उसे हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अभी हाल ही में, अबू धाबी की सरकार ने एक क़ानून पारित किया जिसके अंतर्गत सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को निजी चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने का निर्देश है. लेकिन इस तरह के तदर्थ समाधान उन संघीय एजेंसियों द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों का स्थान नहीं ले सकते जिन्हें देश भर में मान्यता प्राप्त है.

संघीय सरकार को निर्माण कार्य में लगे प्रवासी कामगारों के सामने आ रही समस्याओं को निपटाने की पहल करनी होगी. उसे इस काम के लिए तुरंत एक स्वंतत्र जाँच की शुरुआत करनी होगी. उसे संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों को उन रोज़गार एजेंसियों की सेवाएँ लेने से रोकना होगा जो कामगारों से शुल्क के भुगतानों के नियमों की अवहेलना करती हैं. उसे संयुक्त के श्रम क़ानून का उल्लंघन करने पर तत्काल सज़ा देनी होगी, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाना होगा और श्रम क़ानून के न्यूनतम वेतन के प्रावधान को लागू कराना होगा. उसे प्रवासी कामगारों के बारे में आँकड़े जुटाने के काम में सुधार सुनिश्चित करना होगा और इस तरह से श्रमिकों की जाँच की क्षमता बढ़ानी होगी. संयुक्त अरब अमीरात सरकार को कामगारों और प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय नियमों को भी व्यवहारिक रूप देना होगा.

विदेशी सरकारों को भी संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण कार्य में जुटे प्रवासी कामगारों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी.जिन देशों से यह प्रवासी कामगार संयुक्त में काम करने आते हैं उन सरकारों की अर्थव्यवस्था में भी इनके द्वारा भेजी राशि से अनुकूल प्रभाव पड़ता है; उनकी सरकारों का भी यह सुनिश्चित करने में हित है कि कामगारों को उचित मुआवज़ा मिले और उनके साथ उचित व्यवहार हो. उन्हें ऐसे स्थानीय रोज़गार एजेंटों की धरपकड़ करनी होगी जो संयुक्त अरब अमीरात

में काम दिलाने के नाम पर इन कामगारों से मनमानी फ़ीस वसूल करते हैं. उन पर इस तरह की फ़ीस लेने के लिए पूरी पाबंदी लगा दी जानी चाहिए. इन देशों के संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दूतावासों को भी अपने प्रवासी नागरिकों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए पहले से सतर्क होना चाहिए और यदि उन्हें अपने मालिकों के साथ कुछ कठिनाइयाँ पेश आती हैं तो उन्हें पूरी तरह सलाह और सहायता उपलब्ध करानी चाहिए.

अमरीका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यह एक अच्छा अवसर है कि जब वे उसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बात करें तो उससे यही भी मांग करें कि वह कामगारों के अधिकारों की रक्षा करे. उन्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि वे इस समझौते में संयुक्त में श्रम क़ानून में सुधार की शर्त रखें जिसमें स्पष्ट रूप से कामगारों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हो और वे सामूहिक रूप से मालिकों के साथ मुआवज़ा तय करने पर बात कर सकें. इस क़ानून में कामगारों के अधिकारों की समुचित सुरक्षा का भी प्रावधान होना ज़रूरी है. उन्हें मुक्त व्यापार समझौते की एक यह पूर्वशर्त भी रखनी चाहिए कि संयुक्त वे क़दम उठाएगा जो संयुक्त अरब अमीरात के श्रम क़ानून को प्रभावी तौर पर लागू कराने के लिए आवश्यक होंगे. इनमें श्रम निरीक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और सरकार की श्रम क़ानून को लागू करने संबंधी गतिविधियों के ठोस आँकड़े जुटाने के लिए किए गए उपायों का लेखाजोखा शामिल हो.

II. सिफ़ारिशें

संयुक्त अरब अमीरात सरकार के लिए

1. देश में प्रवासी कामगारों की स्थिति की जाँच और उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाए. संयुक्त अरब अमीरात सरकार देश में प्रवासी कामगारों के शोषण के मामलों की प्रत्यक्ष रूप से जानाकारी प्राप्त करे और उनके समाधान की कोशिश करे. इस समय उनके बारे में सरकारी जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, इस लिए सरकार को चाहिए कि वह तुरंत ही इन शोषन के मामलों में स्वतंत्र आयोग द्वारा स्वतंत्र जाँच कराए.

इस आयोग को वर्तमान क़ानूनी ढाँचे में सुरक्षात्मक प्रावधानों को लागू करने में संघीय सरकार की विफलता की भी जाँच करनी चाहिए. इस आयोग को कामगारों से संबंधित विवादों पर सरकारी रिकॉर्डों तक बिना किसी अवरोध के पहुँचने का अधिकार हो ताकि वह सार्वजनिक सुनवाई कर सके और प्रवासी कामगारों, उनके वकीलों और प्रवासी कामगारों से जुड़े मामलों और उनके अधिकारों के विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग़ैर सरकरी संगठनों से साक्ष्य और उनके बयान जुटा सके.

आयोग क़ानून के अंतर्गत इस बात के लिए बाध्य हो कि वह एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी जाँच पूरी करे और अपनी जाँच और सिफ़ारिशों को सार्वजनिक करे.

2. कंपनियों को संयुक्त अरब अमीरात और विदेशों में उन रोज़गार दिलाने वाली एजेंसियों के साथ काम करने से रोका जाए जो कामगारों से यात्रा, वीज़ा, रोज़गार अनुबंध या किसी और काम के लिए शुल्क लेते हैं. इन क़ानूनों का उल्लंघन करने वाले मालिकों और नियोक्ता एजेंसियों के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई की जाए और मुनासिब जुर्माना लगाया जाए.

संयुक्त अरब अमीरात का क़ानून स्थानीय निर्माण कंपनियों और नियोक्ता एजेंसियों के ज़रिए संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रवासी कामगारों से ली जाने वाली किसी फ़ीस को ग़ैर क़ानूनी क़रार देता है.

फिर भी, लगता है रोज़गार दिलाने वाली एजेंसियों और मालिकों (या अन्य देशों में उनका प्रतिनिधित्व करने वाली एजेंसियों) द्वारा इस क़ानून के खुलेआम उल्लंघन के ख़िलाफ़ सरकार कुछ नहीं नहीं कर रही है हालांकि कामगार से जो फ़ीस ली जाती है उसमें से मालिकों को भी भुगतान होता है. सरकार को इस क़ानून के व्यापक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ ठोस क़दम ले, दोषी पाए जाने वाले मालिकों और रोज़गार दिलाने वाली एजेंसियों पर प्रयाप्त जुर्माना लगाए और निर्माण कंपनियों को उन कामगारों को भुगतान कराए जिनके बारे में ये पता चल जाए कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए रोज़गार दिलाने वाले एजेंटों को शुल्क का भुगतान किया है.

इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून में संशोधन होना चाहिए ताकि उन निर्माण कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा सके जो अन्य देशों में उन रोज़गार दिलाने वाली एजेंसियों की सेवाएँ लेती हैं जो काम दिलाने के नाम पर कामगारों से शुल्क वसूलते हैं. और अंत में, संयुक्त अरब अमीरात सरकार को उन देशों के साथ जहाँ से ये कामगार आते हैं, मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस तरह का व्यवहार कर रही स्थानीय रोज़गार दिलाने वाली एजेंसियों पर मामला दायर हो सके और उन पर प्रतिबंध लागू किया जा सके.

3. जो नियोक्ता संयुक्त अरब अमीरात के मज़दूर क़ानून से जुड़ी दूसरी व्यवस्था का उल्लंघन करता है उसके ख़िलाफ़ ज़ोर-शोर से तहक़ीक़ात की जाए और क़ानूनी कार्रवाई की जाए. जो कंपनियां कामगारों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं उन पर प्रयोजनात्मक और परिणात्मक जुर्माना लगाया जाए ताकि मौजूदा सज़ा से छुटकारे की स्थिति का अंत हो.

जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्ज है, निर्माण कंपनियां नियमित रूप से मुलाज़िमों का वेतन रोक लेते हैं, और उनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं. निर्माण कंपनियां लगातार क़ानून का उल्लंघन इस लिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें प्रयोजनात्मक तौर पर सरकार द्वारा इसका ज़िम्मेवार नहीं ठहराया गया है. सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि सरकारी छान-बीन करने वाले और अभियोग में प्रयाप्त स्टाफ़ हैं और वे क़ानून का उल्लंघन करने वालें के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित हैं. जो कंपनियां इस क़ानून का उल्लंघन

करते हुए पकड़ी जाएं उन पर कड़ा जुर्माना किया जाए, इस से दूसरी कंपनियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और वे आगे इसका उल्लंघन करने से बचेंगी.

ऐसी स्थिति में जब कामगारों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला नियोक्ता भाग जाए या उस पर लगाए गए जुर्माने के देने से इनकार करे तो सरकार को नियोक्ता के बैंक में जमा गारंटी राशि (प्रवासी कामगार को स्पॉन्सर करने के आवेदन के साथ जमा किया जाता है) से भुगतान कर दे ताकि प्रभावित कामगार को मिलने वाले इंसाफ़ को सुनिश्चित किया जा सके. ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से नियोक्ता के बैंक गारंटी में से अदा किये जाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के श्रम क़ानून में संशोधन किया जाना चाहिए.

4. कामगार के विवाद, निर्माण स्थल पर मृत्यु और चोट, और इन मामलों पर सरकार की कार्रवाई का गुणात्मक एवं संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध कराएँ जाएँ. प्रवासी निर्माण कामगारों के अधिकारों के उल्लंघन की सीमा को जान पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इस मामले में आंकड़ों और सरकारी पारदर्शिता की कमी है. सरकार को चाहिए कि वह कामगारों के विवाद और उसके हल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, और निर्माण कार्यों के आंकड़े, मालूमात, मृतकों और घायलों की संख्या और उसके कारणों को इकठ्ठा करके उसे सार्वजनिक तौर पर पेश करे. इस आंकड़े में यह दर्ज होना चाहिए कि घायल कामगार का क्या हुआ, कितने लोगों को घर वापस भेजा गया और नियोक्ता द्वारा कैसे उनकी क्षतिपूर्ति की गई. संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून में संशोधन करके इस प्रकार के आंकड़े के इकठ्ठा करने और सार्वजनिक करने के लिए उसे बाध्य किया जाए.

5. निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगे प्रवासी कामगारों के साथ व्यवहार की निगरानी करने वाले निरीक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाए. इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण स्थल की जांच की जगह सुरक्षित है और नियमों की पाबंदी की जा रही है और वे अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं.

निर्माण के क्षेत्र में निगरानी करने वाले सरकारी निरीक्षकों की मौजूदा संख्या प्रयाप्त नहीं है. सरकार को चाहिए कि वह निरीक्षकों की संख्या में प्रयाप्त मात्रा में वृद्धि करे ताकि वे निर्माण कम्पनियों की निगरानी करने में सक्षम हों और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून के पालन के लिए बाध्य कर सकें. सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले 18 महीनों में निरीक्षकों की संख्या को 1000 करने की उनकी योजना है. इसे सुनिश्चित

करने की ज़रूरत है कि इस योजना पर अमल किया जाता है और यह मज़दूर क़ानून को सक्ष्म रुप से लागू करने में कामियाब होगा. सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इंस्पेक्टर कामगारों से उनके देश की भाषा में बातचीत करने में सक्षम हैं.

6. रोज़गार के लिए संयुक्त अरब अमीरात आने वाले प्रवासी निर्माण कामगारों के वहाँ पँहुचते ही उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून के अनुसार उनके अधिकारों की जानकारी और शिक्षा देने के लिए तत्काल क़दम उठाया जाए.
प्रवासी निर्माण कामगारों में से अधिकतर निरक्षर हैं और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है. संयुक्त अरब अमीरात में आगमन के बाद सरकार को चाहिए कि वह उन्हें उनके अधिकारों के बारे में मौथिक रूप से भी बताए और उस भाषा में लिखित रूप में दे जिसमें वह समझ सकें, और इस बात की भी जानकारी दे कि अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह क्या करें.

7. न्यूनतम वेतन लागू करने के 1980 के संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून का पालन करे. सरकार को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी उपयुक्त न्युनतम वेतन तय करे.

8. स्वतंत्र और वास्तविक मानवाधिकार और कामगार के अधिकारों की संस्थाओं की स्थापना की अनुमति दी जाए.
संयुक्त अरब अमीरात में व्यापक नागरिक समाज सेक्टर का अभाव इस प्रकार के उल्लंघन को बाहर लाने में सब से बड़ी बाधा है. सरकारी वातावरण सामाजिक संस्थाओं के रास्ते में बाधा है (मिसाल के तौर पर तीन में से दो मानावाधिकार संस्थाओं के परमिट को सरकार ने बिना किसी स्पष्टीकरण के रोक दिए और दुबई में प्रताड़ित महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह खोलने का इरादा कर रहे एक महिला अधिकार एक संगठन को बार बार क़ानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है). सरकार को ग़ैरसरकारी संस्थाओं के स्थापना की अनुमति देनी चाहिए ताकि वह नियमित रूप से देश में मानवाधिकार की स्थिति का जायज़ा लें, उल्लंघन को दर्ज करें और प्रवासी कामगारों की ओर से उन्हें क़ानूनी सलाह दें.

9. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन(आईएलओ) के 87वें और 89वें अनुच्छेद में यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाज़ी या मोल-तोल की जो आज़ादी दी गई है उसके तहत संयुक्त अरब

अमीरात अपने देश के श्रम क़ानून में संशोधन करे और इस अनुच्छेद के प्रावधानों को उसमें शामिल करे.

संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून में ट्रेड यूनियन और सामूहिक सौदेबाज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है. इसमें स्पष्ट रूप से हड़ताल पर पाबंदी है. जब तक कामगार ट्रेड यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाज़ी और हड़ताल करने के अपने अधिकारों से वंचित हैं वे इस स्थिति में नहीं हैं कि नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले उल्लंघन का जवाब दे सके. संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून में संशोधन होना चाहिए ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर से मेल खा सके और स्पष्ट रूप से कामगारों को संगठित होने और सामूहिक तौर पर मोल-तोल करने के अधिकार प्राप्त हो सकें, मज़दुरों की हड़ताल पर जारी पाबंदी को ख़त्म किया जाना चाहिए. नियोक्ता और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वंतत्र यूनियन बनाने की अनुमति होनी चाहिए. यूनियन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह कामगारों के हितों का कारगर तौर प्रतिनिधित्व कर सके, उन्हें अपने नियम बनाने, अपना प्रतिनिधि चुनने और पूरी आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त हो. सारे कामगारों को चाहे उनकी नागरिकता कहीं की भी हो उन्हें ट्रेड यूनियन में शामिल होने, उसमें पूरे तौर से भाग लेने, सक्रिय प्रतिनिधित्व और वोट देने का अधिकार होना चाहिए.

10. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के काम की जगह पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबद्ध 155वें अनुच्छेद को लागू किया जाए.
कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में गंभीर चिंता और सरकारी आंकड़ो की व्यापक कमी को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह इस अनुच्छेद की पुष्टि करके यह सुनिश्चित करे कि कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय मानदंड अपनाया जा रहा है.

11. सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के लोगों के अधिकारों की रक्षा के अंतरराष्ट्रीय क़ानून की पुष्टि की जाए.
संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जहाँ की कुल जनसंख्या का बहुमत प्रवासी कामगार हैं. संयुक्त अरब अमीरात को सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के लोगों के अधिकारों की रक्षा के अंतरराष्ट्रीय क़ानून को स्वीकृति देनी चाहिए और संयुक्त अरब अमीरात के श्रम क़ानून में संशोधन करके उस में इस अनुच्छेद के प्रावधानों को शामिल

करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा अंतरराष्ट्रीय मानदंड के हिसाब से हो रही है.

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, और श्रीलंका की सरकारों से

1. संयुक्त अरब अमीरात में अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के श्रम विभागों को विस्तार दिया जाए ताकि आप अपने देश से आए और यहाँ निर्माण कार्य में लगे उन कामगारों की सहायता कर सकें जिनके अधिकारों का उनके मालिकों द्वार हनन किया जा रहा है.

संयुक्त अरब अमीरात में नागरिक समाज संगठनों, यूनियनों और श्रमिकों का समर्थन करने वाले गुटों के अभाव का अर्थ है कि जब निर्माण कार्य में लगे प्रवासी कामगारों के अधिकारों का हनन होता है और इस शोषण से निपटने के लिए वे स्वयं संगठित नहीं हैं, तो उनकी किसी संस्थात्मक संसाधनों तक कोई पहुँच नहीं है.
कामगारों के देशो के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को इस ओर क़दम उठा कर इस खाई को पाटना चाहिए. उन्हें अपने देशवासियों को मार्गदर्शन, दुभाषिए और क़ानूनी सलाह उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें.

2. संयुक्त अरब अमीरात में अपने समकक्ष अधिकारियों को औपचारिक तौर पर प्रवासी निर्माण कामगारों के साथ होने वाले श्रम संबंधी दुर्वव्यवहार की छानबीन के लिए स्वतंत्र आयोग की स्थापना के महत्व के बारे में बताएँ.
संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था सामान्यतः और निर्माण क्षेत्र विशेषतः प्रवासी कामगारों पर काफ़ी हद तक आश्रित है. प्रवासी कामगारों के अपने देशों की अर्थव्यवस्थ भी उनके घर पैसे भेजने से लाभान्वित हो रही है. संयुक्त अरब अमीरात और कामगारों के अपने देश इस बारे में मिल कर काम करें कि उनके परस्पर आर्थिक लाभ के साथ-साथ कामगारों के अधिकारों में सुधार भी सुनिश्चित हो सके.

3. संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्रालय पर ज़ोर दें कि वह कामगारों से संबंधित क़ानून को लागू करे और उसका उल्लंघन करने वालों को उसके लिए क़ानूनी तौर पर पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराए.

4. अपने नागरिकों की घातक चोटों के बाद मृत्यु होने पर उसके कारणों की पूरी जानकारी के लिए तत्काल दिए जाने का अनुरोध करे और अपने नागरिकों के काम के दौरान घायल होने की नियमित रिपोर्ट मांगे.

अमरीका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों से

1. संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से मुक्त व्यापर समझौता करते समय कामगारों के अधिकारों में सुधार की शर्त रखें. ख़ास तौर से समझौता करने से पहले इस बात पर ज़ोर दे कि पहले संयुक्त अरब अमीरात अपने श्रम क़ानून में सुधार लाकर उसे अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप बनाए जिसमें विशेष तौर पर कामगारों के संगठित होने, सामूहिक तोल-मोल करने और हड़ताल करने के अधिकार की रक्षा शामिल हो. और समझौते की पुष्टि करने से पहले संयुक्त अरब अमीरात से कहें कि वह अपने श्रम संबंधित क़ानून को प्रभावी रूप से लागू करे जिसमें न्यूनतम वेतन और अन्य सुधारों का पूरा प्रावधान हो.

2. संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ मुक्त व्यपार समझौते में कामगारों के अधिकारों का मज़बूत, प्रभावी और लागू होने योग्य प्रावधान शामिल करें जिसमें यह बात भी समाहित हो कि दोनों पक्षों के श्रम क़ानून अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं और दोनों पक्ष इन श्रम क़ानूनों का पालन पूरे तौर पर सुनिश्चित करती हैं.